पाठ-6

E3W43Z

ब्रिटिश राज के अधीन भारत

1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के परिणामस्वरूप भारत में कम्पनी का शासन समाप्त हो गया। अब भारत का शासन ब्रिटिश सरकार ने ग्रहण किया तथा रानी विक्टोरिया को भारत की शासिका घोषित किया गया।

महारानी विक्टोरिया

घोषणापत्र की कुछ खास बातें

- क्षेत्रों के सीमा विस्तार की नीति समाप्त कर दी गई।
- अंग्रेजों की हत्या के दोषियों को छोड़ शेष सभी को क्षमा कर दिया गया।
- विद्रोह में भाग लेने वाले तालुकेदारों को राजभक्ति प्रदर्शित करने पर उन्हें उनकी जागीरें वापस कर दी गईं।
- बिना भेदभाव के योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा में भर्ती करने का वचन दिया गया।
- यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या घटा कर निश्चित कर दी गई। बंगाल प्रेसीडेन्सी में1 :2 तथा मद्रास (चेन्नई और बम्बई (मुम्बई प्रेसीडेन्सियों में1 :3 का अनुपात निश्चित कर दिया गया।

ब्रिटिश साम्राज्ञी विक्टोरिया की घोषणा के अनुसार इंग्लैण्ड में भारत के शासन की देख-रेख तथा नियंत्रण रखने के लिए एक मंत्री अलग से नियुक्त हुआ जो 'भारत मंत्री' कहलाया वह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत में गर्वनर जनरल, वायसराय कहलाने लगा क्योंकि भारत में वह ब्रिटिश शासन का प्रतिनिधि था। उसकी सहायता के लिए चार सदस्यों की समिति भी बनायी गयी।

साथ ही राजपूत, मराठा एवं सिख प्रमुखों के साथ-साथ हैदराबाद के निज़ाम को अंग्रेजों के प्रति निष्ठा के लिए पुरस्कृत करते हुए उनके राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के सदस्य राज्यों के रूप में मान्यता प्रदान की गयी।

भू-राजस्व प्रबन्धन के क्षेत्र में तालुकेदारों व जमींदारों को ब्रिटिश प्रतिनिधियों की मान्यता प्रदान की गयी। यही लोग बाद में ब्रिटिश प्रशासन के एजेन्ट के रूप में कार्य करने लगे। इसी प्रकार भारतीय प्रबुद्ध वर्ग के साथ नम्र तथा मैत्रीपूर्ण व्यवहार का निश्चय किया गया क्योंकि ब्रिटिश प्रशासकों की यह मान्यता थी कि निम्न तथा मध्य वर्ग के लोग प्रायः उच्च वर्ग का ही अनुसरण करते हैं।

ब्रिटिश शासकों को सैन्य पुनर्गठन करने को भी विवश होना पड़ा। यूरोपीय एवं ब्रिटिश मूल के

अधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गई। तोपखाना एवं महत्वपूर्ण मारक क्षमता वाले हथियारों से भारतीय सैनिकों को वंचित रखा गया। सेना में जातियों, क्षेत्रों एवं सम्प्रदाय के आधार पर सैनिक इकाईयाँ बनायी गयीं जिससे उनमें भेदभाव बना रहे जैसे- बंगाल रेजीमेण्ट, राजपूत रेजीमेण्ट।

राजनैतिक एवं प्रशासनिक पुनर्गठन

भारत में प्रशासनिक पुनर्गठन की शुरुआत ब्रिटिश सरकार ने 'इण्डिया काउंसिल एक्ट से की।

1861 ई. के इस एक्ट के द्वारा गवर्नर-जनरल की काउंसिल (परिषद्) का नाम 'इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल' (प्उचमतपंस स्महपेसंजपअम ब्वनदबपस) कर दिया गया।

'इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल' के सदस्यों की संख्या 6 से 12 करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को था। इन सदस्यों में आधे सदस्य गैर सरकारी होते थे। यह काउंसिल पूरी तरह से अधिकार विहीन थी। इसका न तो वित्तीय नियंत्रण था और न ही प्रशासनिक। इस काउंसिल के द्वारा पारित कोई भी

विधेयक गवर्नर जनरल के अनुमोदन के बिना कानून नहीं बन सकता था। अतः कानून के मामले में भी यह मात्र एक सलाहकार समिति थी। इसमें भारतीय सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा नामित होते थे। अतः वे आम भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं करते थे।

इण्डिया काउंसिल एक्ट 1892 ई.

1861 ई. के एक्ट में भारत की शासन व्यवस्था में जो सुधार किये गये थे, उनसे भारतीय जनता सन्तुष्ट नहीं थी। भारतीय जनता की माँगों को ध्यान में रखकर भारतीय शासन व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिये 1892 ई. का अधिनियम पास किया गया। वायसराय की परिषद् के सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गयी। इसी कारण केन्द्रीय और प्रान्तीय दोनों ही परिषदों में मनोनीत सदस्यों की संख्या निर्वाचित सदस्यों से अधिक हो गयी। इसका मनोनयन समाज के विशिष्ट वर्गों से किया जाता था। परिषद् के सदस्यों को शासन सम्बंधी विषयों पर प्रश्न पूछने और बजट पर विचार-विमर्श करने का भी अधिकार दिया गया। इस प्रकार शासन सम्बन्धी अधिकार भारतीयों को नाममात्र के लिए प्राप्त हुए।

स्थानीय स्वशासन

स्थानीय सरकार के संगठन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये। ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। प्रत्येक जिले में जिला उप विभाग, तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई। नगरों में नगर पालिकाएँ स्थापित की गईं। इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य तथा आय के साधन दिए गए। इन्हें रोशनी, गलियों तथा मार्गों की स्वच्छता, शिक्षा, जलापूर्ति तथा चिकित्सा सहायता का कार्य सौंपा गया। यह परिवर्तन 1883-85 के बीच स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित कर दिया गया। यही आधारभूत व्यवस्था आज भी लागू है।

सिविल सर्विसेज (लोकसेवा

घोषणा पत्र के तहत सन् 1861 में भारतीय लोक सेवा अधिनियम (इण्डियन सिविल सर्विस एक्ट) बनाया गया जिसके अन्तर्गत समस्त महत्वपूर्ण पदों पर आई.सी.एस. अधिकारी नियुक्त किये जाते थे। इनका चयन लंदन में होने वाली वार्षिक खुली प्रतियोगिता के द्वारा होता था। यह परीक्षा अंग्रेजी भाषा में ही दी

जा सकती थी। 1853 ई. तक इस परीक्षा में बैठने की अधिकतम आयु 23 वर्ष थी बाद में इसे घटाकर 21 वर्ष कर दी गई जो 1876 ई. में घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। 1863 ई. में यह परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय सत्येन्द्रनाथ ठाकुर थे। ये रवीन्द्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे, किन्तु उम्र घटने से तो भारतीयों के लिये इसमें सम्मलित होना लगभग असम्भव हो गया था। आज आई0सी0एस0 को आई0ए0एस0 (भारतीय प्रशासनिक सेवा) कहते हैं। इसकी चयन प्रक्रिया भी बहुत कुछ मिलती जुलती है।

अंग्रेज अधिकारी को पंखा करते हुए

इसी प्रक्रिया के तहत प्रशासन के दूसरे विभागों जैसे पुलिस, सार्वजनिक निर्माण, चिकित्सा, डाक एवं तार, वन प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी, कस्टम तथा रेलवे में सभी उच्च वेतन वाले पदों पर सिर्फ ब्रिटिश नागरिक ही नियुक्त हो सकते थे।

भारतीयों के दबाव में 1918 ई. में प्रशासकीय तथा लोक-सेवाओं का भारतीयकरण किया जाना शुरू हुआ, फिर भी नियंत्रण और अधिकार के पदों पर अंग्रेज अधिकारी ही बने रहे।

सेना तथा पुलिस का पुनर्गठन

1857 ई. के बाद पुनर्गठन की प्रक्रिया के अन्तर्गत सेना को भी पुनर्गठित किया गया। 1857 ई. के पूर्व बंगाल, मद्रास (चेन्नई) तथा बम्बई (मुम्बई) प्रान्तों की अपनी अलग-अलग सेनाएँ थीं। ये स्वतंत्र रूप से कार्य करती थीं। 1893 ई. में इनका एकीकरण किया गया। ब्रिटिश सेनाध्यक्ष के अधीन इस सेना को रखा गया। इसमें यूरोपीय सैनिकों का अनुपात भारतीय सैनिकों की तुलना में लगभग दुगुना कर दिया गया। भारतीय सैनिक सूबेदार से ऊपर किसी पद पर

नियुक्त नहीं किए जाते थे। यह व्यवस्था 1914 ई. के प्रथम विश्वयुद्ध तक ऐसी ही बनी रही।

पुलिस संगठन में दरोगा का पद भारतीयों तथा पुलिस अधीक्षक का पद यूरोपियों के लिये रखा गया। क्योंकि सेना और पुलिस दोनों ही ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा एवं विस्तार कार्यों में सहायक होती थीं।

न्यायिक संगठन

भारत में न्याय की परम्परागत प्रणाली मुख्य रूप से प्रचलित कानून पर आधारित थी। अनेक कानून शास्त्रों और शरियत तथा शाही फरमानों पर आधारित थे। शुरू में अंग्रेज आमतौर से प्रचलित कानून ही लागू करते रहे, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने कानूनों की एक नई प्रणाली विकसित की। तत्कालीन कानूनों को संहिताबद्ध किया गया। इसका अर्थ था कि शासन कानून के अनुसार चलाया जायेगा न कि शासक की इच्छा के अनुसार।

अब कानून की निगाह में सारे मनुष्य बराबर हैं। जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर बिना भेदभाव के एक ही कानून सब लोगों पर लागू होता था। पहले की न्याय प्रणाली जाति के भेदभाव का ख्याल करती थी। जैसे यदि किसी ऊँची जाति के व्यक्ति ने कोई अपराध किया तो उसकी सजा किसी और जाति के व्यक्ति से भिन्न होती थी।

व्यवहारतः न्याय प्रणाली अब अधिक खर्चीली हो गई थी और न्याय पाने में काफी विलम्ब होता था।

वित्तीय प्रशासन

सन् 1857 ई. के बाद वित्तीय प्रशासन का भी पुनर्गठन किया गया। 1860 ई. में बजट की व्यवस्था शुरू की गयी। कुछ समय बाद केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के बीच आय के वितरण के बारे में भी निर्णय लिया गया। डाकघर, रेलवे, अफीम तथा नमक की बिक्री और चुंगी से होने वाली आय को पूर्णतः केन्द्रीय सरकार के लिये सुरक्षित रखा गया। भू-राजस्व, आबकारी आदि स्रोतों से होने वाली आय को केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के बीच बाँटा गया। इससे मिलती-जुलती व्यवस्था आज भी चल रही है। अदालतों में मुकदमा चलाने के लिये स्टैम्प ड्यूटी नामक एक नवीन कर भी लगाया गया। 1892 ई. के अधिनियम के द्वारा विधान परिषद् के सदस्यों को बजट पर विचार करने का अधिकार दिया गया।

अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति बनी

अंग्रेज शासकों, प्रशासकों ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार इस उद्देश्य से किया कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीय उनके समर्थक बन जायेंगे। अंग्रेजी भाषा के रूप में उन्हें सम्पर्क भाषा प्राप्त हुयी। जिसके परिणामस्वरूप वे अंग्रेजी साहित्य के सम्पर्क में आये। लार्ड मैकॉले ने जब अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा और अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की नीति बनाई थी तो उसका यह उद्देश्य था कि इस शिक्षा से ऐसे व्यक्ति तैयार होंगे जो आत्मा और आस्था से ब्रिटिशवादी होंगे। वास्तव में मैकॉले का यह अनुमान काफी सीमा तक सही निकला।

पाश्चात्य शिक्षा

कम्पनी का शासन प्रारम्भ होने के समय देश में शिक्षा की व्यवस्था हेतु पाठशाला, मकतब एवं मदरसे थे। उच्च शिक्षा मुख्यतः अभिजात वर्ग के लोगों तक ही सीमित थी। उच्च वर्ग संस्कृत, अरबी, फारसी, कानून, तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन करते थे। देश में परम्परागत शिक्षा पद्धति ही चल रही थी।

पाश्चात्य जगत के नवीन विचारों और आधुनिक विज्ञान का ज्ञान भारत लाने में शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अंग्रेज भारत में आधुनिक शिक्षा आरम्भ करने में अधिक सफल रहे। निःसन्देह आधुनिक शिक्षा का प्रसार केवल सरकार के प्रयास से ही नहीं हुआ। इस कार्य में ईसाई धर्म प्रचारकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई जगहों पर कान्वेंट स्कूल खोले।

आधुनिक शिक्षा का प्रभाव

भारत में आधुनिक विज्ञान का प्रयोग उन्नीसवीं सदी के आरम्भ में हुआ। उदारवादी आंग्ल शिक्षा नीति के चलते भारत में विज्ञान, तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी का विकास भी हुआ। इससे भारत वैज्ञानिक युग में प्रवेश कर सका। विश्वविद्यालयों की स्थापना के साथ उनमें विज्ञान विभाग की स्थापना हुई। अधिकाधिक भारतीयों ने विज्ञान को अध्ययन के लिये चुना और विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किये।

प्रफुल्लचन्द राय

चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में महेन्द्र लाल सरकार का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने 1876 ई0 में 'इण्डियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस' नामक संस्था की स्थापना की। बीसवीं सदी के तीसरे दशक में 'इण्डियन साइंस कांग्रेस' की स्थापना की गई। साइंस कांग्रेस के अधिवेशनों में देश के विभिन्न भागों के वैज्ञानिक भाग लेते थे और एक दूसरे से अपने विचारों व कार्यों का आदान-प्रदान करते थे।

प्रफुल्लचंद राय, जगदीश चन्द्र बसु, मेघनाथ साहा और बीरबल साहनी जैसे कई वैज्ञानिकों ने ख्याति अर्जित की।

सी0वी0 रमन ने अपने कार्य और योगदान के आधार पर भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया। श्रीनिवास रामानुजन गणित और विश्वेश्वरैया इंजीनियरिंग और टैक्नोलॉजी के क्षेत्र के महान भारतीय वैज्ञानिक थे। इस प्रकार भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने योगदानों से विज्ञान के विकास के द्वारा देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में हुए विकास कार्यों से देश को एक नई गति और प्रतिष्ठा प्राप्त हुई।

जगदीश चन्द्र बसु

सी0वी0रमन

जनसुविधाओं में वृद्धि

18वीं शताब्दी तक अंग्रेजों ने देश के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई। किन्तु 19वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही उन्होंने भारतीय समाज और संस्कृति में परिवर्तन के लिए कुछ कदम उठाये।

भारत स्थित ब्रिटिश प्रशासन कुछ सीमा तक भारतीयों में आधुनिक सोच पैदा करना चाहते थे। लेकिन वहीं तक जहाँ तक ब्रिटिश हितों को नुकसान न हो।

अतः उन्होंने भारत में आधुनिकीकरण की संतुलित नीति अपनाई। इसी नीति के तहत अंग्रेजों ने कई हजारों किलोमीटर की रेलवे लाइन स्थापित करायी जिससे आवागमन तेज हो सके व व्यापार को बढ़ावा मिले। अंग्रेज ठण्डे प्रदेश के रहने वाले थे और उन्हें भारत में पड़ने वाली गर्मी को सहन करने की आदत नहीं थी। अतः उन्होंने अपने व अपने परिवारों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए भारत में नये नगर जैसे नैनीताल, शिमला, दार्जिलिंग बसाये।

अंग्रेजों ने भारत में नहर व कुओं का भी निर्माण किया जिससे ज्यादा से ज्यादा खेतों को सींचकर उत्पादन बढ़ाया जा सके और भू-राजस्व की अधिक से अधिक प्राप्ति हो।

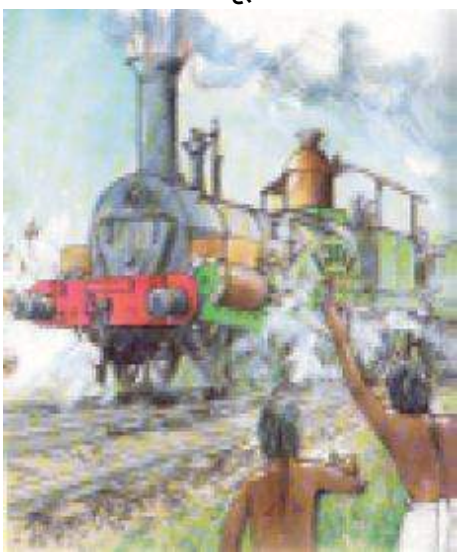

1853, पहली रेल यात्रा, बोरीवली से थाणे के बीच

इस समय यूरोप में नये चिन्तन का उदय हो रहा था। इस चिन्तन की अवधारणा थी विवेकशील वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जिसका अर्थ था कि केवल वही बात सही मानी जायेगी जो मानव तर्क के अनुकूल हो और व्यवहार में जिसका परीक्षण किया जा सके। इसी क्रम में कुछ अंग्रेजों ने भारतीयों के रीति-रिवाजों को असभ्यता का प्रतीक माना तथा भारतीय सभ्यता को गतिहीन कहकर उसकी निन्दा की।

उस समय भारतीय समाज में तमाम कुरीतियाँ आ गई थीं। जिसे भारतीय चिंतकों ने सुधार करने का प्रयत्न किया। इस कार्य में कुछ ब्रिटिश शासकों ने भी सहयोग दिया। यद्यपि उनकी नीति धार्मिक मामलों तथा रीति-रिवाजों में कम से कम दखल देने की थी। अंग्रेजों द्वारा अपने हित में किया गया भारत में

आधुनिकीकरण अप्रत्यक्ष रूप से भारत के लिए लाभप्रद सिद्ध हुआ।

अंग्रेजों द्वारा लागू की गयी पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीयों की संकुचित सोच को तोड़ा और उनमें नयी दुनिया की ललक और जिज्ञासा जागृत की। पढ़े-लिखे भारतीय समाज की बुराईयों का विरोध करने के लिए एकजुट होने लगे। नयी सोच और विकसित ज्ञान ने समाज में फैले कई अंधविश्वासों व कुरीतियों को तोड़ा। रेलगाड़ियों ने आवागमन को न केवल सरल व सुरक्षित बनाया अपितु यह छुआ-छूत व जाति प्रथा को समाप्त करने में भी सहायक सिद्ध हुई।

और भी जानिए

□1835 में अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी।

□शिक्षा के प्रसार हेतु 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ।

□आज भी कई जगह, मुहल्ले कुछ अंग्रेजी प्रशासकों के नाम पर हैं जैसे- राबर्ट्सगंज, एलनगंज, जार्जटाउन।

. शब्दावली

नोबेल पुरस्कार-यह एक अन्तरराष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है जो विश्व के उच्च कोटि के साहित्यकारों, वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों, समाजसेवकों आदि को दिया जाता है।

अभ्यास

1. बहुविकल्पीय प्रश्न

(1)इण्डियन काउंसिल एक्ट पास किया गया-

(क) 1892 ई0 में (ख) 1861 ई0 में

(ग) 1883 ई0 में (घ) 1885 ई0 में

(2) पहली रेल बोरीवली से थाणे के बीच चली-

(क) 1851 ई0 में (ख) 1852 ई0 में

(ग) 1853 ई0 में (घ) 1854 ई0 में

2. अतिलघु उŸारीय प्रश्न-

(1) सी0वी0 रमन ने अपने कार्य और योगदान के आधार पर भौतिकी के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया ?

(2) 1835 ई0 में कौन सी भाषा भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी ?

(3) किस अधिनियम के द्वारा वाइसराय की परिषद् के सदस्यों की संख्या बारह से सोलह कर दी गई ?

3. लघु उŸारीय प्रश्न-

(1) मैकाले भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा क्यों देना चाहता था ?

(2) महारानी विक्टोरिया ने घोषणा पत्र में भारतीयों के लिए कौन से आश्वासन दिए गए ?

4. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न-

(1) ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में किए गए चार प्रशासनिक सुधारों के बारे में लिखिए।

प्रोजेक्ट वर्क

*पता कीजिए, वर्तमान में आपके जनपद में कौन से अधिकारी क्या कार्य करते हैं ? इसकी एक तालिका बनाइए।